HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No-2309/2025

IN

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3003/2025

1. Saddam Son Of Dalmir, Resident Of Todiyar, Police Station Sadar, District Alwar (Raj.) (At Present Accuse Appellant Confined In Central Jail Alwar)
2. Jasmal Son Of Rahman, Resident Of Todiyar, Police Station Sadar, District Alwar (Raj.) (At Present Accuse Appellant Confined In Central Jail Alwar)
3. Mahboob Son Of Isak Khan, Resident Of Todiyar, Police Station Sadar, District Alwar (Raj.) (At Present Accuse Appellant Confined In Central Jail Alwar)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री रामरतन गुर्जर

For Respondent(s) : श्री जयप्रकाश तिवाड़ी,लोक अभियोजक

श्री कपिल गुप्ता

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27-02-2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2 अलवर, राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**18/2015, सरकार बनाम सद्दाम वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 31.10.2025 के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 7 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि दोनों पक्षों के मध्य हुए झगडे के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से क्रोस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है । क्रोस प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 735/2014 रही है । दोनों प्रकरणों का निस्तारण 31.10.2025 को हो चुका है जिसमें अपीलार्थीगण व परिवादी पक्ष दोनों को ही दोषसिद्ध किया गया है तथा दोनों पक्षों को सात वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। क्रोस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–735/2014 से संबंधित निर्णय व दण्डादेश का भी अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई राय व्यक्ति किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है ।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1.सद्दाम**

पुत्र दलमीर, 2. जसपाल पुत्र रहमान व 3. महबूब पुत्र ईसाक खां को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/146